

क्रमांक : प.11(6)/रीपा/परीक्षा/विभागीय/RFS/2025/941

दिनांक : 16/04/2025

कार्यालय-आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 21.04.2025 से 25.04.2025 की अवधि में आयोजित की जाने वाली राजस्थान वन सेवा के सहायक वन संरक्षकों की विभागीय परीक्षा में निम्न अधिकारी को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम	पता
120	रणजीत सिंह धोलिया	43, जैन कॉलोनी, शारदापुरम्, नागौर (राज.)-341001


परीक्षा कार्यक्रम				
दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय	
21.04.2025	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	पहला	Forest Law	
22.04.2025	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	दूसरा	Land Revenue System	
23.04.2025	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	तीसरा	Procedure and Accounts	
24.04.2025	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	पांचवा	Utilisation of Forest Produce With Special reference to this state	
25.04.2025	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	चौथा	Hindi	

परीक्षा केन्द्र/स्थल : एच.सी.एम. रीपा, जयपुर		
क्र. सं.	परीक्षा कक्ष/हॉल का नाम	भवन का नाम
1	बुद्धि/पी. 17, विवेक/पी. 18, मेधा/पी. 27 एवं विद्या/पी. 34	पटेल भवन
2	कौशल-बी-12	नेहरू भवन-सीजीजी

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- 1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- 4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावतियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- 6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- 7 परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- 8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भाँति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- 9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- 10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।

- 11 परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
- 12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।




(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : प.11(6)/रीपा/परीक्षा/विभागीय/RFS/2025/342-48
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 16/04/2025

1. उप वन संरक्षक (संस्थापन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित अभ्यर्थी को अपने स्तर पर भी अवगत कराने का श्रम करावें।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड-II, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
4. ए.सी.पी. (उप निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. संबंधित परीक्षार्थी।
6. नोटिस बोर्ड (पटेल भवन/नेहरू भवन/सीजीजी)।
7. रक्षित पत्रावली।



एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)